कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः–   /11–सी–FP/UP/Road/119900/2021, लखनऊ, दिनांकः अगस्त 24 ,2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के अंतर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (एल0डब्लू0ई0) के अंतर्गत सुवर स्रोत खुर्द से सियरिया मार्ग किमी0 0.00 से 19.20 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कुल 11.79 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 112 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक–427/मी0क्षे0/33, दिनांक 02.08.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक–343/11–सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में संलग्न किया गया प्रमाण पत्र मुख्य वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।
2. प्रस्ताव में एन0पी0वी0 जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु वचनबद्धता में संशोधित एन0पी0वी0 की दर के संबंध में भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06.01.2022 का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः उल्लेख कर संशोधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
3. प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है किन्तु वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है। अतः प्रतिहस्ताक्षरित युक्त वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
4. गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न है किन्तु प्रस्तावित स्थल चिन्हित नहीं है।
5. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–131 पर संलग्न वन्यजीव विहार/सेन्चुरी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र में प्रस्तावित स्थल कैमूर वन्यजीव विहार के अंदर नहीं आ रहा है का उल्लेख किया गया है, किन्तु प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि प्रस्तावित स्थल इको सेन्सिटिव जोन के बाहर है अथवा नहीं? अतः सही स्थिति का उल्लेख कर संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।
6. प्रस्ताव में रोड साइड पट्टी वृक्षारोपण कराये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, में संलग्न नहीं है।
7. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कम से कम वृक्षों का पातन किये जाने से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
8. ऑनलाइन पार्ट–1 व पार्ट–2 में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जा रही गैर वनभूमि के गाटा सं0–45घ का क्षेत्रफल 2.13 हे0 दर्शाया गया है, जबकि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गाटा सं0–45घ में से केवल 1.979 हे0 ही गैर वनभूमि दी जा रही है। अतः उपरोक्तानुसार गाटा सं0–45घ का सही क्षेत्रफल ऑनलाइन पार्ट–1 व पार्ट–2 में अपलोड करें तथा 1.979 हे0 गैर वनभूमि की के0एम0एल0 फाइल एवं Geo Referenced Digital Map संलग्न कर ऑनलाइन भाग–1 एवं भाग–2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।
9. उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्ताव में संलग्न करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 674 /11–सी–FP/UP/Road/119900/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0 खण्ड लोक निर्माण विभाग, राबर्ट्सगंज सोनभद्र।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1023